(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2325–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–7–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 90/14–15/अपील.

दामोदर शर्मा पुत्र रामसेवक शर्मा
निवासी ग्राम डबका
तहसील व जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– विकास शर्मा पुत्र गोपाल कृष्ण
2– बसंत शर्मा पुत्र आशाराम शर्मा
3– भूपेन्द्र शर्मा पुत्र मातादीन शर्मा
4– दुर्गेश शर्मा उर्फ मोनू शर्मा
पुत्र स्व. राधाकिशन शर्मा
सरपरस्त मॉ श्रीमती पिंकीबाई
बेवा राधाकिशन शर्मा
निवासीगण ग्राम भट्पुरा
परगना व जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण
5– कालीचरन
6– हरनारायण
7– प्रेमनारायण पुत्रगण भीकाराम
निवासीगण ग्राम भटपुरा
परगना व जिला ग्वालियर .....फॉरमल अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एन0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 से 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–7–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के आदेश दिनांक 13–1–2014 के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 16–12–14 को प्रस्तुत की गई। चूंकि अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–7–15 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील समय–सीमा में मान्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वे दिनांक 8–12–14 को विचारण न्यायालय में किस प्रकरण के संबंध में जानकारी लेने गये थे । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का समाधान कारक कारण नहीं दर्शाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा प्रत्यके दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 5 लगायत 7 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं करने से उनके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम हो गया है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से समाधान कारक कारण दर्शाये गये हैं । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उन्हें आदेश की जानकारी नहीं दी गई है, जब आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का अमल कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जब उन्हें दिनांक 8–12–14 को आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई, और उनके द्वारा जानकारी प्राप्त होने के तत्काल बाद अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा उनकी अपील समय–सीमा में मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त को अभी प्रकरण का अंतिम

निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, और वे गुण–दोष पर अपना पक्ष रख सकते हैं ।

5/ अनावेदक कमांक 5 लगायत 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा अनावेदक कमांक 5 लगायत 7 से पंजीकृत विकय पत्र द्वारा वर्ष 2010 कय किया जाकर अपने पक्ष में नामांतरण भी करा लिया गया था । अतः अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 हितबद्ध पक्षकार होते हुए भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 को न तो पक्षकार बनाया गया है, और न ही सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर अपील समय सीमा में मान्य करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । अतः अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–7–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर